


11-10-21

पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/
मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली
पूर्वानुसार दि. 29.11.21 को पेश में।

01.11.21

आर्षीगण द्वारा आर्षीगण पत्र पेश करने पर मूल
काद पत्र आज दिनांक को खारिज किया जा
भुक्त है। मूल काद पत्र विस्तारित होने के पश्चात्
इस आर्षीगण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं
रहती है। ऐसी स्थिति में यह आर्षीगण पत्र

फर्द अहकाम

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>इसी सत्र पर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 24.03.2021 को जारी अंतरिम अर्साई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है पत्रावली इसी के साथ जेम्सबुगर टोमल प्रविन इफाल को</p> <p style="text-align: right;">  (अधिवक्ता) उपखण्ड अधिकारी घडसाना </p>	